Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

डॉ. रमन सिंह

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

(2015-16)

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015

माननीय अध्यक्ष महोदय,

गरीब, किसान, मजदूर एवं युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास की हमारी सरकार की प्राथमिकता जारी रहेगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को मान्य करते हुए राज्यों को अतिरिक्त अनाबद्ध संसाधन उपलब्ध कराने तथा कोल ब्लॉक नीलामी से प्राप्त अतिरिक्त शुल्क राज्य सरकार को हस्तांतरण करने का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया है, उससे राज्यों की विकास यात्रा को गति एवं नये आयाम मिलेगें। इसके लिए मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती है। विशेषकर ऐसे समय में जबकि आर्थिक मंदी के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति दबाव में है, केन्द्र के संघीय ढांचे को मजबूत करने वाले इस निर्णय से राज्य को विकास के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। इस अतिरिक्त संसाधन का उपयोग हम अधोसंरचना के उत्तरोत्तर विकास, राज्य की आवश्यकतानुरूप जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मेक-इन-इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी आर्थिक विकास दर में उछाल आएगा।

हमें उन संकल्पों का स्मरण है, जो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे। इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। गत वर्ष बजट में उन संकल्पों को पूरा करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए थे। इस बजट में भी यह क्रम जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि:-

"अंदाज कुछ अलग है, मेरे सोचने का,
सबको मंजिल का शौक है, और मुझे रास्तों का"

आर्थिक स्थिति

2. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का विवरण पेश करता हूँ।

2.1 मैंने कल विधान सभा के पटल पर वर्ष 2014-15 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। प्रचलित भाव पर वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर 13.20 प्रतिशत होना अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में देश की आर्थिक विकास दर 11.59 प्रतिशत होना संभावित है।

2.2 वर्ष 2014-15 में प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र में 14.18, औद्योगिक क्षेत्र में 10.62 एवं सेवा क्षेत्र में 15.21 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आर्थिक मंदी के बावजूद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में यह वृद्धि उल्लेखनीय है।

2.3 प्रचलित भाव पर वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 12.10 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13.20 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

2.4 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान अनुसार 1 लाख 85 हजार 682 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए 2 लाख 10 हजार 192 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 22 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 38 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत है।

2.5 वर्ष 2014-15 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 64 हजार 442 रुपए होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2013-14 की 58 हजार 547 रुपए की तुलना में 10.07 प्रतिशत अधिक है।

भाग-एक

कृषि

3. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में कृषि विकास दर वर्ष 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर 5.8 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 3 प्रतिशत है।

3.1 हमारी सरकार की किसान समृद्धि नीति तथा किसानों के अथक परिश्रम से प्रदेश में धान के उत्पादन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, धान उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि के लिए तीसरी बार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

3.2 कृषि विकास को विशेष महत्व देते हुए हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में पहली बार पृथक से "कृषि बजट" प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 10 हजार 676 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि एवं उद्यानिकी के लिए 1 हजार 754 करोड़, पशुपालन के लिए 437 करोड़, मछलीपालन के लिए 78 करोड़, सहकारिता के लिए 237 करोड़, सिंचाई क्षमता वृद्धि के लिए 2

हजार 718 करोड़, तथा कृषि पंपों के ऊर्जीकरण एवं पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 1 हजार 415 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

3.3 उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से 8 जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसे प्रारम्भ करने के लिए बजट में आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराए गए हैं।

3.4 कृषि यांत्रिकीकरण का लाभ लघु एवं सीमांत कृषक उठा पाए, इस उद्देश्य से वर्ष 2011-12 से "कृषि सेवा केन्द्र" योजना प्रारम्भ की गई थी। प्रदेश में अब तक 380 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। योजना का विस्तार करते हुए इस वर्ष 180 अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3.5 प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष "जैविक खेती मिशन" लागू की गई थी। इस बजट में योजनांतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर में बायो-कंट्रोल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

3.6 प्रदेश में प्रमाणित बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "कृषक समग्र विकास योजना" अंतर्गत धान, गेहूँ, कोदो-कुटकी एवं रागी के बीज उत्पादन तथा वितरण पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में दलहन एवं तिलहन फसलों के आधार बीज एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन तथा वितरण पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 64 करोड़ का प्रावधान है।

3.7 प्रदेश में पूर्व से ही राज्य आयोजना मद में ड्रीप तथा स्प्रिंकलर आधारित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को 50 से 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु बजट में 20 करोड़ का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में सूक्ष्म सिंचाई योजना को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" प्रारम्भ की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट में 30 करोड़ का प्रावधान है।

3.8 प्रदेश में कृषकों को "ब्याजमुक्त" अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 158 करोड़ का ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

3.9 गन्ना खेती के प्रति किसानों के बढ़ते हुए रूझान को ध्यान में रखते हुए पंडरिया में नवीन सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना की जाएगी।

पशुधन विकास

4. ग्रामीण स्तर पर पशु स्वास्थ्य तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 10 नवीन पशु औषधालय की स्थापना एवं 10 पशु औषधालयों का चिकित्सालय में उन्नयन किया जाएगा।

सिंचाई

5. प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता 34 प्रतिशत है। सिंचाई क्षमता के विस्तार तथा रूपांकित क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए बजट में 2 हजार 758 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु 1 हजार 850 करोड़ तथा नवीन योजनाओं हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है। इससे 60 हजार हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी, जिससे सिंचाई क्षमता में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

5.1 बिलासपुर स्थित अरपा भैंसाझार वृहद सिंचाई परियोजना हेतु 201 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परियोजना से 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त महानदी परियोजना समूह के नहर रि-माडलिंग एवं लाईनिंग के लिए 191 करोड़, दुर्ग की तांदुला परियोजना की नहर लाईनिंग के लिए 28 करोड़ तथा केलो परियोजना की वितरक नहरों के निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।

5.2 9 मध्यम परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग हेतु 13 करोड़ एवं 83 नवीन लघु सिंचाई योजनाओं हेतु 84 करोड़ का प्रावधान है।

5.3 47 लघु सिंचाई योजनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भाग-दो

खाद्य सुरक्षा

6. मुख्यमंत्री खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु 4 हजार 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6.1 कोर पी.डी.एस. के विस्तार के रूप में "मेरी मर्जी योजना" अंतर्गत 1 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है।

6.2 खाद्यान्नों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण हेतु नाबार्ड की सहायता से 93,600 मिट्रिक टन क्षमता के 23 गोदामों के निर्माण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6.3 पहुँचविहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से भंडारण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

स्कूल शिक्षा

7. स्कूल शिक्षा के लिए 7 हजार 412 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इसमें केन्द्र प्रवर्तित सर्वशिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 1 हजार 297 करोड़ केन्द्रांश शामिल है।

7.1 प्राथमिक स्तर पर छात्रों की शुद्ध दर्ज संख्या का प्रतिशत 73 से बढ़कर 88 तथा शाला त्यागने की दर 1.4 से घटकर 1.2 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में छात्राओं की दर्ज संख्या छात्रों की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत अधिक हुई है।

7.2 वर्तमान में शासकीय स्कूलों का संचालन एक से अधिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से लागू विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता तथा बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद््देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से सभी स्कूलों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा।

7.3 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। अब तक 40 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस वर्ष यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी क्रम में नारायणपुर, बीजापुर एवं दुर्ग में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा फरसगांव, सुकमा, बगीचा, अंतागढ़, बोड़ला एवं कुसमी में विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाएगी।
7.4 25 मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 20 हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूलों में उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान है।

7.5 सर्वशिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण स्कूल भवनों को राज्य के संसाधनों से पूर्ण किया जाएगा। इस हेतु 111 करोड़ का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा

8. विगत दशक में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु हमने 7 नवीन विश्वविद्यालय तथा 74 शासकीय महाविद्यालय स्थापित किए हैं। इस बजट में महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास एवं बौद्धिक संपदा को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस हेतु 817 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।

8.1 छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुदूर नक्सल प्रभावित बस्तर, कांकेर के साथ-साथ रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिला में "आदर्श आवासीय महाविद्यालय" प्रारम्भ किए जाएंगे।

8.2 विश्वविद्यालय के बेहतर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से दुर्ग में नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसे मिलाकर प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी।

8.3 हमारे घोषणा-पत्र अनुसार गत वर्ष बालिकाओं में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा सुविधा लागू की गई थी। इसके फलस्वरूप महाविद्यालय में छात्राओं की दर्ज संख्या में, छात्रों के अनुपात में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में सूरजपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, कमला देवी महाविद्यालय, राजनांदगांव, शासकीय नागार्जुन महाविद्यालय, रायपुर एवं शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग में 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

8.4 नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं राजनांदगांव को शामिल करते हुए 36 महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।

8.5 महाविद्यालयों में छात्रों की दर्ज संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अधिक छात्र संख्या वाले 40 महाविद्यालयों में अधोसंरचना के विस्तार के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.6 प्रदेश के छात्रों को इंटरनेट के जरिए वैश्विक ज्ञान भंडार से जोड़ने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास

9. सुदूर वनांचलों में शिक्षा के विस्तार की दिशा में आश्रम शाला हमारा सबसे सफल प्रयोग रहा है। विगत एक दशक में छात्रावास तथा आश्रम शालाओं की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,200 हो गई है, जो कि लगभग दुगुना है। इन आवासीय शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 हजार से बढ़कर 1 लाख 85 हजार अर्थात् ढाई गुना हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, विशेषकर नक्सल प्रभावित जिलों में, "पोटा केबिन" आवासीय विद्यालय में 1,655 सीटों की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ-साथ 500 आश्रम तथा छात्रावासों में शौचालय निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

9.1 आश्रम शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति 750 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये तथा भोजन सहाय योजनांतर्गत देय राशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। इसी प्रकार क्रीड़ा परिसर में पोषण आहार राशि 750 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। इस हेतु बजट में 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9.2 अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में "प्रयास" विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसकी सफलता को देखते हुए अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला कांकेर में "प्रयास" विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

9.3 25 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में तथा 20 हाई स्कूल का हायर सेंकेण्डरी में उन्नयन किया जाएगा।

9.4 50 हाई स्कूल, 50 हायर सेकेण्डरी तथा 50 प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास के भवन निर्माण हेतु 23 करोड़ का प्रावधान है।

9.5 जाति प्रमाण पत्र प्रदाय की व्यवस्था को ऑन लाईन किया जाएगा।

युवा बजट

10. अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश की आधे से अधिक आबादी युवा है। स्वामी विवेकानंद के आह्वान के अनुसार यह समय युवाओं के खड़े होने, जागृत होने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का है। यह उनके जागरण की बेला है। इसे ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल विकास एवं उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हमने विशेष महत्व दिया है।

10.1 युवा कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से पहली बार विभिन्न योजनाओं में युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों का एक पृथक संकलन "युवा बजट" के रूप में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश के लगभग 90 लाख युवा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं। इस बजट में आयोजना व्यय का 16 प्रतिशत अंश, 6 हजार 151 करोड़ युवाओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है।

10.2 पृथक से युवा बजट प्रस्तुत करने में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है।

रोजगार एवं कौशल विकास

11. एक अध्ययन के मुताबिक युवाओं में मात्र 2 प्रतिशत को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए युवाओं का कौशल विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे प्रेरित होकर इस सदन ने युवाओं को कौशल उन्नयन का अधिकार देने के लिए "छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013" लागू किया था। यह अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र एवं पहला राज्य है। इसके क्रियान्वयन हेतु "मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना" प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्थापित लाइवलीहुड कालेजों के भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान है।

11.1 राज्य के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक आई.टी.आई. स्थापित करने की दिशा में हमने 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। शेष 30 विकासखंडों में आगामी 2 वर्ष में आई.टी.आई. स्थापित कर लिये जाएंगे। इस बजट में 17 नवीन आई.टी.आई. क्रमशः दरभा, भोपालपटनम, दुर्गकोंदल, फरसगांव, बड़ेराजपुर, शंकरगढ़, लखनपुर, पौड़ी, तोकापाल, उसूर, कुआकोंडा, डोंगरगांव, फिंगेश्वर, गुरूर, कटेकल्याण, जामुल और हीरापुर में प्रारम्भ किए जाएंगे। इनमें से 11 आई.टी.आई. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में है।

11.2 युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलीटेक्निक स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 23 जिलों में पॉलीटेक्निक स्थापित किए जा चुके हैं। इस बजट में सूरजपुर, कोंडागांव और बेरला में नवीन पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किए जाएंगे। वर्ष 2016-17 तक शेष बचे सभी जिलों में पॉलीटेक्निक की स्थापना कर दी जाएगी।

11.3 प्रदेश में संचालित आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक तथा लाइवलीहुड कालेजों में छात्राओं को प्रशिक्षण के सुलभ अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस बजट में 23 कन्या छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे 1,000 से अधिक छात्राओं को आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।

11.4 राज्य में सूचना प्रोद्योगिकी में विश्वस्तरीय शिक्षण हेतु पहली बार पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत नया रायपुर में ट्रिपल आई.टी. (प्प्प्ज) इस वर्ष से प्रारम्भ हो जाएगी। इस संस्था के संचालन हेतु स्थापना अनुदान के रूप में 16 करोड़ का प्रावधान है।

11.5 युवाओं को स्वावलंबी और समर्थ बनाने के उद्देश्य से "युवा क्षमता विकास योजना" प्रारम्भ की जाएगी। इसके अंतर्गत स्वरोजगार हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम से जुड़े औद्योगिक केन्द्रों से ऋण लेने वाले युवाओं को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा तथा आई.टी.आई. एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी एवं इसका व्ययभार

राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। आई.टी.आई. के शिक्षण शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

स्वास्थ्य

12. राज्य में 30 हजार से भी अधिक टी.बी. मरीज है। 90 प्रतिशत टी.बी. मरीजों में कुपोषण की स्थिति पायी जाती है। फलस्वरूप इन मरीजों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसेे ध्यान में रखते हुए टी.बी. मरीजों के लिए "अक्षय पोषण योजना" प्रारम्भ की जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें उपचार के साथ-साथ पोषण की विशेष खुराक उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि ऐसे मरीज जीविका अर्जन में पुनः सक्षम हों और प्रदेश में टी.बी. से किसी की मृत्यु न हो। यह योजना लागू करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला तथा एकमात्र राज्य होगा।

12.1 हमारी आधुनिक जीवन शैली के चलते बच्चों में मधुमेह बीमारी के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, जिसका उपचार मंहगा है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की तर्ज पर "मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा" योजना प्रारम्भ की जाएगी। योजनांतर्गत मधुमेह रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध करायी जाएगी।

12.2 श्रवण बाधित बच्चों के उपचार हेतु "बाल श्रवण योजना" प्रारम्भ की जाएगी।
12.3 शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 15 जिला चिकित्सालय में "नवजात चिकित्सा इकाई" तथा विकासखंड स्तर पर "नवजात देखभाल केन्द्र" की स्थापना जाएगी।

12.4 मलेरिया की रोकथाम हेतु मितानिनों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें खून की जाँच के लिए "रेपिड डायग्नोस्टिक किट" उपलब्ध करायी जाएगी।

12.5 गंभीर रूप से झुलसे तथा चोट से प्रभावित मरीजों के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालयों में "बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर" की स्थापना की जाएगी।

12.6 प्रदेश में कैंसर के ईलाज हेतु रायपुर मेडिकल कालेज में कैंसर इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई है। इसका विस्तार करते हुए बिलासपुर एवं रायगढ़ में भी "कैंसर इंस्टिट्यूट" की स्थापना की जाएगी।

12.7 केन्द्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए "इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च" की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारा प्रयास होगा कि इस संस्थान में होने वाले अनुसंधान का लाभ लेते हुए राज्य में फार्मा पार्क विकसित किया जाए।

12.8 फ्लोरेसिस नियंत्रण हेतु नवीन योजना प्रारम्भ की जाएगी।

12.9 प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए रायपुर के अतिरिक्त बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ तथा राजनांदगांव में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है। इस बजट में अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु 10 करोड़ तथा राजनांदगांव चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 69 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12.10 रायपुर तथा राजनांदगांव में नवीन फार्मेसी कालेज तथा बिलासपुर एवं सुकमा में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

13. कुपोषण से मुक्ति हमारी प्राथमिकता क्रम में सर्वोपरि है। इस दिशा में हमारी सरकार ने अनेक नवाचार जैसे - फुलवारी, नवाजतन, स्नेह शिविर, सुपोषण चौपाल, वजन त्यौहार, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सबला योजना का राज्य व्यापीकरण एवं नरेगा श्रमिकों को मातृत्व भत्ता आदि प्रारम्भ किए हैं, इसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं एवं विगत एक दशक में बच्चों में कुपोषण की दर में 14 प्रतिशत की कमी आयी है। यह दर 47 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गई है। इस बजट में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के प्रदाय हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है।

13.1 हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप गत वर्ष हमने बालिकाओं को समाज में विशिष्ट दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से "नोनी सुरक्षा योजना" प्रारम्भ की थी। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी संदर्भ में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का आव्हान किया है। इसे ध्यान में रखते हुए नोनी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु 80 करोड़ का प्रावधान है।

13.2 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शाला-पूर्व शिक्षा के प्रयोग हेतु अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है तथा आंगनबाड़ी केन्द्र को "जीवंत बाल विकास केन्द्र" के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 29 करोड़ का प्रावधान है।

13.3 18 वर्ष तक के विशेष देख-रेख की आवश्यकता वाले बच्चों के हित संरक्षण के लिए संचालित "एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम" हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

समाज कल्याण

14. गत वर्ष हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप निराश्रित, वृद्ध, निःशक्तजन तथा विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह की गई थी। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि सर्वहारा के हितों के प्रति हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हुए सभी पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में 50 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए बजट में 700 करोड़ का प्रावधान है। इससे लगभग 16 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

14.1 जनगणना 2011 के अनुसार विगत दशक में रोजगार की तलाश में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की तरफ आगमन में लगभग शत-प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग शहर में "कामकाजी महिला हॉस्टल" प्रारम्भ किए जाएंगे, जिसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान है।

14.2 राजनांदगांव में बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है।

पेयजल एवं स्वच्छता

15. स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बजट में 862 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

15.1 हमारे घोषणा पत्र में गांव में शत-प्रतिशत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का उल्लेख है। गत वर्ष 14 नवीन ग्रामीण-समूह नल जल योजनायें सम्मिलित की गई थी। इसी क्रम में इस बजट में 19 योजनाओं हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनमें से 15 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए हैं।

15.2 इस बजट में 22 नगरीय नल जल योजना शामिल की गई है, जिसके लिए 28 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वन

16. नया रायपुर में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया जाएगा, जो कि विश्व का सबसे वृहद "सिटी फॉरेस्ट" होगा। इसमें जंगल सफारी का 250 एकड़ क्षेत्र शामिल है।

16.1 प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीणों की अनुपजाऊ जमीन पर वृक्षारोपण के माध्यम से अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जा रही "हरियाली प्रसार" योजनांतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान है।

16.2 राज्य के बिगड़े वनों के सुधार हेतु 150 करोड़ तथा बांस वनों के पुनरूद्धार हेतु 47 करोड़ का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

17. राज्य के सभी ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की हमारी घोषणा के अनुरूप वर्ष 2011 में "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना" लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 629 बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है। इस वर्ष 127 नवीन सड़कों के निर्माण हेतु 300 करोड़ तथा निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.1 आंतरिक ग्रामीण पथों का कांक्रीटीकरण एवं नाली निर्माण हेतु "मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना" अंतर्गत 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.2 "स्वच्छ भारत" अभियान के क्रियान्वयन हेतु बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.3 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 5 हजार 244 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होगी, जो तेरहवें वित्त आयोग अवधि की तुलना में लगभग तीन गुना है। इसका उपयोग पंचायतों में ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा। बजट में इसके लिए 566 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
17.4 गत वर्ष हमने गांवों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की है। केन्द्रीय बजट में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को समाप्त किया गया है। योजनांतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसे शामिल करते हुए योजना में कुल 600 करोड़ का प्रावधान है।

17.5 प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत सशक्तीकरण योजना प्रांरभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.6 ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 46 करोड़ का प्रावधान है।

17.7 ग्राम पंचायतों में सूचना तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने एवं उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को ऑन-लाईन करने हेतु "ई-पंचायत योजना" प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।

नगरीय विकास

18. चौदहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के आधार पर आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के नगरीय निकायों को 1 हजार 850 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होगी, जो तेरहवें वित्त आयोग अवधि की तुलना में पाँच गुना है। इसका उपयोग नगरीय अधोसंरचना विकास में किया जाएगा।

18.1 प्रदेश के प्रमुख नगरों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों, विशेषकर गंदी बस्तियों में, सुलभ शौचालय तथा अन्य स्थानों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 134 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.2 प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "वॉटर ए.टी.एम." स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
18.3 सड़क मार्ग के यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, बीरगांव, जगदलपुर एवं कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र तथा 17 जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधायुक्त "हाईटेक बस स्टैंड" का निर्माण किया जाएगा।

18.4 रायपुर एवं बिलासपुर में फ्लाईओवर निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

18.5 नगरीय निकाय क्षेत्रों में "मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन" योजना प्रारम्भ की जाएगी, जिसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान है।

अधोसंरचना विकास

19. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं प्रारंभ मे उल्लेख कर चुका हूँ चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अतिरिक्त संसाधन का एक बड़ा हिस्सा रोड नेटवर्क के विस्तार तथा उन्नयन के लिए उपयोग किया जाएगा। हमने इस दिशा मे एक दीर्घकालीन कार्ययोजना तैयार की है। योजना के क्रियान्वन के लिए "छत्तीसगढ सड़क विकास निगम" का गठन किया गया है। हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र मे राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाए।

19.1 इस बजट में सड़क अधोसंरचना विकास के लिए कुल 5 हजार 183 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना मे 43 प्रतिशत अधिक है। कार्ययोजना अनुसार इस वर्ष राज्य

के राजमार्ग के डबल लेन मे उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसके साथ-साथ जिला मुख्यालय तथा विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को भी डबल लेन मार्गाेंं में उन्नयन किया जाएगा।

19.2 इसके अतिरिक्त सड़क विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षों में "पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप" पद्धति से टोल रोड तथा एन्युटी आधारित 2 हजार कि.मी. सड़को का उन्नयन किया जाएगा। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ व्यय होगा।

19.3 घनी आबादी वाले शहरों एवं औद्योगिक तथा खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में यातायात के दवाब को कम करने की दृष्टि से 19 शहरों क्रमशः कोण्डागांव, जगदलपुर, बालोद, तिल्दा-नेवरा, नंदिनी शहर, अहिवारा, कोटा, पण्डरिया, पेण्ड्रा, भाटापारा, लोरमी, मस्तूरी-सीपत, शिवरीनारायण, अकलतरा, बेरला, बलरामपुर, वाड्रफनगर, सारबहरा, बलोदा (सीपत बलोदा) में बायपास का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु बजट में 53 करोड़ का प्रावधान है।

19.4 साथ ही यातायात सुगम करने के लिए 5 फ्लाईओवर, रायपुर रेल्वे स्टेशन से पुलिस मुख्यालय तक, राजकुमार कालेज से शास्त्री चौक तक, आमानाका रेल्वे ब्रिज से टाटीबंध रेल्वे ब्रिज के मध्य, दल्ली राजहरा एवं नेहरू नगर-पाटन-उतई मार्ग से बी.एस.पी. आवासीय क्षेत्र तक का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 11 रेल्वे-ओवर ब्रिज तथा अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 62 करोड़ का प्रावधान है।

औद्योगिक विकास

20. माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा लागू की गई "मेक इन इंडिया" के सपने को साकार करने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति 2014-19 लागू की है। औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस "ईज ऑफ डूंइग बिजनेस" है। इसका क्रियान्वयन करते हुए अनुमोदन की प्रक्रिया को ऑन-लाईन बनाना, स्वप्रमाणीकरण आधारित बनाना तथा निराकरण के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जावेगा तथा उद्योगों की समस्या के निराकरण हेतु ई-पोर्टल का निर्माण किया जाएगा।

20.1 नई औद्योगिक नीति के अनुसार पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से पूंजीगत अनुदान तथा ब्याज अनुदान की राशि में वृद्धि की गई है। इस हेतु 90 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को प्रवेश कर, स्टॉम्प शुल्क आदि में छूट की पात्रता होगी।

20.2 नई औद्योगिक नीति में पहली बार फिल्म उद्योग तथा लॉजिस्टिक हब को उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है।

20.3 निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निवेशकों को अनुदान तथा स्टॉम्प शुल्क एवं डायवर्सन शुल्क आदि में छूट की पात्रता होगी।

20.4 धमतरी जिले के ग्राम बगौद में कृषि, उद्यानिकी तथा वनोपज के प्रसंस्करण के लिए "मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क" की स्थापना के लिए 10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

20.5 युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एम.एस.एम.ई.) उद्योग को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है, जिसमें नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए अनुदान तथा प्रवेश कर की छूट सम्मिलित है।

20.6 उद्योगों के कच्चा माल तथा उत्पाद का बेहतर परिवहन के उद्देश्य से हमारी सरकार की पहल पर रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिले में सी.एस.आई.डी.सी.ए इरकॉन तथा एस.ई.सी.एल. के संयुक्त उपक्रम द्वारा 5 हजार करोड़ की लागत की 300 किलोमीटर लम्बाई के "रेल कॉरीडोर" विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य शासन का अंशदान 10 प्रतिशत है। इससे इन जिलों के सुदूर क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुडेगें एवं इनका विकास होगा।

20.7 नया रायपुर में औद्योगिक एवं व्यापारिक सम्मेलनों एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर की स्थापना की जा रही है, इस परिसर में कन्वेंशन सेंटर, एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर, पेवेलियन हॉल तथा शिल्पग्राम आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु बजट में 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास

21. माननीय प्रधानमंत्री जी के "मेक इन इंडिया" परिकल्पना को साकार करने हेतु, हम राज्य की "नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति" लाये हैं। इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को पंूजीगत निवेश, ब्याज अनुदान, युवा प्रशिक्षण हेतु अनुदान आदि के रूप में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुझे आशा है, कि इस पहल से राज्यों को न सिर्फ निवेश की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारे युवाओं को राज्य में ही रोजगार तथा जीविकोपार्जन का अवसर मिलेगा।

21.1 राज्य मंे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को सूचना तकनीक के उपयोग द्वारा उनके कैरियर निर्माण की बेहतर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने निःशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट प्रदाय करना प्रारंभ किया था। इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

21.2 भारत सरकार के "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में "डिजिटल छत्तीसगढ़" परियोजना के अंतर्गत जनसेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाईल प्रदायगी को सुगम बनाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

ऊर्जा

22. प्रदेश की विद्युत कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 2 हजार 424 मेगावॉट है। इस वर्ष मड़वा ताप विद्युत परियोजना से उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा, फलस्वरूप राज्य की उत्पादन क्षमता 3 हजार 424 मेगावॉट हो जाएगी।

22.1 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अब तक 82 प्रतिशत घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। इस बजट में "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों के 300 गांवों को पूर्ण विद्युतीकृत करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान है।
22.2 इस वर्ष 24 हजार विद्युत पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विद्युत वितरण कंपनी को 185 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 हॉर्स पावर तक के पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 1 हजार 230 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.3 बी.पी.एल परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु 269 करोड़ अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

विमानन

23. स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर के रनवे का अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार विस्तार हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

23.1 दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं बलरामपुर की हवाई पट्टियों का निर्धारित मानकों के अनुसार विकास किया जाएगा।

खनिज संसाधन

24. दंतेवाड़ा स्थित लौह अयस्क खदान बैलाडीला, डिपोजिट क्रमांक 13 से उत्खनन हेतु गठित एन.एम.डी.सी. लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा इस वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।

24.1 कोयला, लौह अयस्क तथा बॉक्साइट परियोजनाओं के पूर्वेक्षण कार्य के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आवास एवं पर्यावरण संरक्षण

25. निम्न आय वर्गों को रियायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आवासीय योजना" प्रारम्भ की जाएगी। प्रथम चरण में नया रायपुर में 40 हजार आवास निर्मित करने हेतु गृह निर्माण मंडल को अनुदान मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। योजनांतर्गत निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को 50 हजार तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को 1 लाख सब्सिडी दी जाएगी।
25.1 जिलों तथा ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण मंडल के माध्यम से आवास गृह निर्मित किए जाएंगे।

25.2 रायपुर शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नया रायपुर में ठोस अपशिष्ट के निराकरण हेतु कुल 6 करोड़ का प्रावधान है।

25.3 खारून नदी के दोनों तरफ नियोजित रूप से तट एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु "खारून विकास प्राधिकरण" का गठन किया जाएगा।

श्रमिक कल्याण

26. असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु कर्मकार कल्याण मंडल को 20 करोड़ तथा सफाई कर्मकारों के कल्याण एवं ठेका मजदूर तथा घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं हेतु 20 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

संस्कृति एवं पर्यटन

27. प्रदेश की लोककलाओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण किया जाकर "सहपीडिया" का प्रकाशन किया जाएगा।

27.1 ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अभिलेखों के संधारण हेतु रायपुर में अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी।

27.2 रायपुर में कला तथा सांस्कृतिक महत्व के वृहद आयोजन हेतु बहुआयामी संस्कृति संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

27.3 ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के केन्द्र सिरपुर को "अंर्तराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल" के रूप में विकसित करने हेतु "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जाएगा तथा संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

खेल एवं युवा कल्याण

28. सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। इन खेलों के आयोजन हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

28.1 जनवरी 2016 में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन रायपुर में किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

28.2 इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय पुरूष हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

28.3 बैकुंठपुर में नवीन स्टेडियम का निर्माण तथा राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम का उन्नयन किया जाएगा।

राजस्व प्रशासन

29. नगर निगम क्षेत्र के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन किया गया है। इस हेतु 25 राजस्व निरीक्षक तथा 115 पटवारी के पद सृजित किए गए हैं।

29.1 दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा के संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान है।

29.2 प्रदेश की 17 तहसीलों में नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

पुलिस एवं जेल प्रशासन

30. वर्तमान स्थिति में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में केन्द्रीय सशस्त्र बल की 37 बटालियन तथा राज्य सशस्त्र बल की 18 बटालियन तैनात हैं। इसके अतिरिक्त गोरिल्ला लड़ाई से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष पुलिस बल की 2 बटालियन गठित की गई है। इस बजट में विशेष पुलिस बल में 400 अतिरिक्त पद सृजन करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिले सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में

पहली बार जिला रिजर्व गार्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक के अधीन 200 सशस्त्र बल उपलब्ध रहेंगे।

30.1 अपराध अन्वेषण में टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में "डी.एन.ए. प्रयोगशाला" की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जशपुर एवं जांजगीर-चांपा में "सीन ऑफ क्राईम" युनिट की स्थापना की जाएगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय में "क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम" का क्रियान्वयन किया जाएगा।

30.2 सरगुजा एवं बस्तर संभाग में "एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट" का गठन किया जाएगा।

30.3 महिला अपराध के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ में "महिला अपराध अनुसंधान" इकाई की स्थापना की जाएगी।

30.4 पुलिस आवासीय व्यवस्था में विस्तार करते हुए आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक के लिए 1,000 आवासीय भवन निर्माण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।

30.5 नक्सली गतिविधियों से जुड़े अपराधों तथा विचाराधीन बंदियों के प्रकरण में त्वरित सुनवाई करते हुए शीघ्र निराकरण हेतु प्रदेश के सभी न्यायालयों को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जोड़ा जाएगा।

परिवहन

31. बलरामपुर एवं बेमेतरा में परिवहन कार्यालय की स्थापना तथा मैदानी परिवहन कार्यालयों, चेकपोस्ट तथा उड़नदस्तों के सुदृढ़ीकरण हेतु 65 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।

31.1 नया रायपुर में ड्रायविंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।

न्याय प्रशासन

32. राज्य में न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विगत एक दशक में 100 से अधिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस बजट में मुंगेली में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।

32.1 न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित "छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी" के भवन निर्माण हेतु 26 करोड़ का प्रावधान है।

32.2 माध्यस्थता के माध्यम से जटिल तथा वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रदेश में 8 जिलो में "वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र" स्थापित किए गए हैं। इस बजट में दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोरिया, कांकेर एवं सरगुजा जिले में ए.डी.आर. केन्द्र की स्थापना हेतु 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

33. प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत प्रदेश के 99 प्रतिशत परिवारों अर्थात् 57 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 5 जिलों कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर में 31 हजार परिवारों के बैंक खाते खोले जाने शेष हैं।
33.1 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा अनुरूप, जनधन बैंक खातों को आधार नंबर और मोबाईल नंबर से जोड़कर, जनधन-आधार-मोबाईल के "जैम" संगम के जरिए हितग्राहियों को अधिकाधिक हितग्राहीमूलक योजनाओं में दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर उनके मोबाईल पर एस.एम.एस. के जरिए सूचना दी जाएगी।

वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित अनुमान

34. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ:-

34.1 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 48 हजार 654 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 49 हजार 41 करोड़ है। व्यय का पुनरीक्षित अनुमान 54 हजार 710 करोड़ से बढ़कर 55 हजार 34 करोड़ संभावित है।

34.2 राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान 2 हजार 464 करोड़ से घटकर 2 हजार 376 करोड़ संभावित है।

34.3 बजट में सकल वित्तीय घाटा 5 हजार 761 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 5 हजार 768 करोड़ होगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.85 प्रतिशत है। वित्तीय घाटा निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अंदर है।

वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान

35. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2015-16 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ:-

35.1 विगत कई वर्षों से हमारी यह मांग रही है कि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि के बदले "अनाबद्ध राशि" प्राप्त हो। इस आधार पर चौदहवें

वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किए जाने पर राज्य को 6 हजार 746 करोड़ अतिरिक्त प्राप्त होगा। साथ ही कोल ब्लॉक की नीलामी से लगभग 2 हजार 200 करोड़ की करेत्तर राजस्व प्राप्ति अनुमानित है।
35.2 वर्ष 2015-16 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 57 हजार 956 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता राशि 9 हजार 746 करोड़ शामिल है। राज्य का स्वयं का राजस्व 28 हजार 749 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

35.3 वर्ष 2015-16 के लिये अनुमानित सकल व्यय 67 हजार 546 करोड़ है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी तथा पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 65 हजार 13 करोड़ अनुमानित है। आयोजना व्यय 39 हजार 500 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 25 हजार 513 करोड़ है।

35.4 आयोजना व्यय 39 हजार 500 करोड़ है, कुल व्यय का 61 प्रतिशत है। राज्य आयोजना व्यय 29 हजार 753 करोड़ अनुमानित है। इसमें केन्द्रीय सहायता 1 हजार 515 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के संसाधन 28 हजार 238 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य आयोजना का 95 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है। गत वर्ष यह 87 प्रतिशत था।

35.5 वर्ष 2015-16 में पूंजीगत व्यय 11 हजार करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 17 प्रतिशत है।

35.6 राज्य आयोजना में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 12 प्रतिशत तथा सामान्य क्षेत्र के लिये 52 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

35.7 वर्ष 2015-16 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 37 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 46 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 17 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

राजकोषीय स्थिति

36. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 4 हजार 227 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।

36.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 6 हजार 836 करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत एवं निर्धारित सीमा के अंदर है।

36.2 वर्ष 2015-16 हेतु कुल प्राप्तियाँ 64 हजार 935 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 65 हजार 13 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 78 करोड़ का शुद्ध घाटा

अनुमानित है। वर्ष 2014-15 के संभावित घाटा 103 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2015-16 का कुल बजटीय घाटा 181 करोड़ है।

भाग-तीन

37. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

37.1 "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" के अंतर्गत विगत एक दशक से हमारी सरकार ने कर प्रक्रिया में अनेक ठोस सुधार किए हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी रहा है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि योजना आयोग, भारत शासन की वर्ष 2014 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" के मापदण्डों में छत्तीसगढ़ राज्य को देश के 9 सबसे अग्रणी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में छत्तीसगढ़ अन्य विकसित राज्यों जैसे - महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब आदि से आगे है।

37.2 वर्ष 2011 से हमने छत्तीसगढ़ को "बैरियर-मुक्त" राज्य बनाया है। इसके साथ ही "इंस्पेक्टर राज" समाप्ति की दिशा में व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व व्यवसाय-स्थल की जांच को समाप्त किया गया है। करनिर्धारण की जटिल प्रक्रिया से व्यवसायियों को मुक्ति दिलाने के लिए "स्व-करनिर्धारण" व्यवस्था लागू की गई है। व्यवसाइयों को "अनुमोदन प्रणाली" की परेशानी से निजात दिलाने के लिए कर-प्रक्रिया के अंतर्गत फार्म एवं अभिलेखों के "स्व-प्रमाणीकरण" की प्रथा लागू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के "डिजिटल इण्डिया" कार्यक्रम को साकार बनाने की दिशा में कर प्रणाली से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जाकर कर-प्रशासन को पारदर्शी, सक्षम तथा व्यापार के अनुकूल बनाया गया है।

37.3 व्यवसाय को सुगम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ:-

s वर्ष 2013-14 से 60 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायियों को त्रैमासिक रिटर्न की बाध्यता से मुक्त करते हुए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी। अब इसमें वृद्धि करते हुए यह सुविधा 1 करोड़ तक वार्षिक टर्न-ओवर वाले व्यवसाइयों को दी जाएगी। इससे 50 हजार से अधिक छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायी लाभान्वित होंगे।

s वर्ष 2012-13 से समस्त पंजीकृत व्यवसाइयों द्वारा ई-रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी मे "ई-भुगतान" को भी अनिवार्य किया जाएगा।

s कपड़ा तथा शक्कर पर प्रवेश कर समाप्त किया जाकर 1 प्रतिशत की दर से वैट आरोपित किया जाएगा।

37.4 स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं वैट तथा केन्द्रीय विक्रय कर में निम्नानुसार रियायत प्रस्तावित करता हूँ:-

s राज्य के आयरन एण्ड स्टील उद्योग लम्बे समय से मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इससे राहत देने के उद्देश्य से "रि-रोल्ड" उत्पाद पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

s स्थानीय फेरो-ऐलायज निर्माताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने हेतु फेरो-ऐलायज पर केंद्रीय विक्रय कर की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जाएगी।

37.5 अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि औद्योगिक विकास के लिए "कैपिटल गुड्स" तथा "इण्डस्ट्रियल इनपुट" को अनावश्यक करभार से मुक्त रखा जाए। वर्तमान में कतिपय इनपुट पर देयकर की तुलना में अधिक करभार है तथा कुछ अन्य कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इन विसंगतियों को दूर करते हुए मैं वैट में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ:-

s केप्टिव पावर प्लांट में उपयोग होने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इस कारण अधिकांश खरीदी राज्य के बाहर से 2 प्रतिशत केंद्रीय विक्रय कर चुकाकर की जाती है। राज्य में ऐसे प्लांट एवं मशीनरी खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें घोषणा पत्र पर 2 प्रतिशत की दर से खरीदने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- इलेक्ट्रो-फोर्ज्ड ग्रेटिंग पॉवर प्लांट में इनपुट के रूप में उपयोग होता है, लेकिन इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। अतः इस पर प्रचलित वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।
- "लाईट डीजल ऑयल" पर प्रचलित वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।
- "इण्डस्ट्रियल लुब्रिकेन्ट" पर वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।
- इलेक्ट्रिकल पेनल एवं इसके कम्पोनेन्ट पर वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।

37.6 अब मैं प्रवेश कर में रियायत पर आता हूँ:-

- वर्तमान में 1 करोड़ रुपये तक प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश वाले लघु उद्योगों को उनके उत्पाद तथा उपयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश कर से छूट की सुविधा है। केन्द्र शासन द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी विनियोजन की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ किया जा चुका है। अतः प्रवेश कर से छूट की सुविधा हेतु प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ की जाएगी।
- केप्टिव माइंस द्वारा कच्चे माल के रुप में उत्खनित आयरन-ओर तथा कोयले पर प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रवेश कर देय है। बाजार मूल्य गणना की जटिलता दूर करने के उद्देश्य से इन मालों पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा।
- राज्य में उद्योग द्वारा मूल्य-संवर्धन को प्रोत्साहित करने हेतु पाईप गेल्वेनाइजिंग में उपयोग होने वाले जिंक पर प्रचलित 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।
- राज्य के राईस-ब्रान आधारित साल्वेन्ट प्लांट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से राईस-ब्रान की खरीदी पर प्रचलित 2 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।

37.7 प्रदेश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रस्तावित करता हूँः-

- भारत सरकार की अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवास निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री, प्रीकास्ट, प्रीफैब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कांक्रीट उत्पाद को वैट तथा प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा।
- आवास निर्माण में उपयोग होने वाले ग्लास, ग्लास-शीट तथा टफेण्ड ग्लास पर वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।

37.8 प्रधानमंत्री जी के "स्वच्छ भारत अभियान" को प्रोत्साहित करने हेतु सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो-टायलेट पर प्रचलित 14 प्रतिशत वैट समाप्त किया जाकर इसे करमुक्त किया जाएगा, तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।

37.9 राज्य में स्थित पावर प्लांट से प्रति वर्ष लगभग 80 मिलियन मैट्रिक टन फ्लाईएश उत्पन्न होता है। इसके पुर्नउपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में फ्लाईऐश ब्रिक्स को करमुक्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में फ्लाईएश से निर्मित टाईल्स तथा पेवर्स को भी वैट से मुक्त किया जाएगा।

37.10 राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एविएशन टरबाईन फ्यूल पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

37.11 उपरोक्तानुसार कर की दरों में युक्तियुक्तकरण से राज्य के व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आगामी वर्षों में कर राजस्व में वृद्धि होगी।

मनोरंजन कर

38. प्रदेश में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके आयोजन पर लगने वाले मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की जाएगी।

39. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो संकल्प किए हैं, वे हर बाधा को पार करने की क्षमता रखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी की इन पंक्तियों के साथ मैं वर्ष 2015-16 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ:-

"आंखों में वैभव के सपने,
पग में तूफान की गति हो,
राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रूकता,
आये जिस-जिस की हिम्मत हो।"